संख्या-40/2026/I/1320827/2026/11-4099/4/2026

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में मल्टीप्लेक्स /सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य एस0जी0एस0टी0 के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-1-5-बजट-सामान्य/2026-27/882/राज्य कर, दिनांक 31.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2043-00-800-14-**मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य एस0जी0एस0टी0 के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति** के मानक मद 42-अन्य व्यय में व्यय की नई मद (एस0एन0डी0) के रूप में प्रावधानित धनराशि **रू0 135.00 लाख (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2. जिस मद में व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाये।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,35,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2043008001400 मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य एस.जी.एस.टी. के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-8/दस-2026-27, दिनांक 07.05.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in